न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 54/2021 GCMS No 2021/
दायरा तिथि : 19.07.2021
फैसला तिथि : 28.10.2021
प्रार्थी ::–
महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपुत
निवासी सेणा तहसील–बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– **दिनांक 28.10.2021**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) तहसील बाली में धारित की जा रही खातेदारी भूमि खसरा नंबर 492 व 494 कुल खसरा–02 कुल रकबा 7.34 हैक्टर में दर्ज अपने नाम **वीरसिंह उर्फ महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** को त्रुटिपुर्ण बताते हुये अपना **सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह दुरस्ती** के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में इसका आधार यह बताया गया कि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह है, जो सही तौर पर प्रार्थी द्वारा धारित सह खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी राणावतान के खसरा नंबर 2465, 2466, 2467, 2469, की भूमि में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम सेणा डूब क्षैत्र में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमियो में भी बतौर गैर खातेदार महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह दर्ज है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकार दस्तावेज आबादी क्षैत्र के मकान का पट्टा, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति,स्कूलिंग सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतियो में भी प्रार्थी का सही नाम महावरसिंह पुत्र पहाडसिंह दर्ज होने के प्रमाण स्वरूप इन दस्तावेजो की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, बाली ने जांच कर रिपोर्ट पेश की। अपनी जांच रिपोर्ट में पटवारी हल्का, सेणा व निरीक्षक भू०अ० बिसलपुर द्वारा वर्णित किया गया कि स्थानिय ग्रामवासियों से पूछताछ से हुई जानकारी के अनुसार महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपुत निवासी चामण्डेरी राणावतान तहसील बाली मूल रूप से ग्राम सेणा तहसील बाली के निवासी हैं तथा इनकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 492 व 494 में दर्ज वीरसिंह उर्फ महावीरसिंह एक ही व्यक्ति हैं। नाम संशोधन से किसी का हित प्रभावित नहीं होगा। ग्राम के अन्य खातो में महावरीसिंह पुत्र पहाडसिंह सही तौर पर दर्ज होने से **सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने बाबत् रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य डूँगरसिंह पुत्र बनेसिंहजी जाति राजपुत निवासी सेणा व धनराजसिंह पुत्र शम्भुसिंहजी जाति राजपुत निवासी सेणा के बयान भी पेश किये गये।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** है, जो सही नाम वादग्रस्त भूमि के अलावा अन्य धारित भूमियों यथा चामुणेरी राणावतान के खसरा नंबर नंबर 2465, 2466, 2467, 2469 एवं ग्राम सेणा में ही डूब क्षैत्र में धारित की जा रही अन्य खातो की भूमियो में एवं प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकार दस्तावेज आबादी क्षैत्र के मकान का पट्टा, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति,स्कूलिंग सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रतियो में भी प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** ही दर्ज है, जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 492 व 494 कुल खसरा–02 कुल रकबा 7.34 हैक्टर में **वीरसिंह उर्फ महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज है। जिसको **दुरस्ती** के माध्यम से सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन प्रार्थी द्वारा किया गया। जिस तथ्य को अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधियो निरीक्षक भू०अ० बिसलपुर व पटवारी हल्का, सेणा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया हैं। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानो अनुसार दोनो पक्षो के सहमत होने पर लिपिकिय त्रुटियो को शुद्व करने के आदेश प्रदान किये जा सकते हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। माफिक जांच रिपोर्ट निरीक्षक भू०अ० बिसलपुर व पटवारी हल्का, सेणा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम सेणा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 492, 494 कुल खसरा–02 कुल रकबा 734 हैक्टर में बतौर खातेदार दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम वीरसिंह उर्फ महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह को विलोपित** कर सही व **वास्तविक नाम महावीरसिंह पुत्र पहाडसिंह** राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेणा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
भू० अभिलेख अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू० अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

Scanned with CamScanner